200

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 299—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05—07—2016 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज के प्रकरण क्रमांक 5/अ—12/2015—16.

.....

1—संतोष कुमार अहिरवार
2—भागीरथ प्रसाद अहिरवार
3—संजीव अहिरवार पुत्रगण
श्री गुलाब अहिरवार निवासी ग्राम
हिरानी तहसील बुदनी जिला सीहोर ——— आवेदकगण

विरूद्ध

प्रमोद कुमार आत्म हरप्रसाद
निवासी शाहगंज कृषक ग्राम जहानपुर
तहसील बुदनी जिला सीहोर म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रमोद कुमार शर्मा स्वयं, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/6/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार शाहगंज जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर ग्रामं जहानपुर स्थित भूमि खसरा नं0

58/2 रकवा 13.00 एकड़ के सीमांकन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल ग्राम शाहगंज द्वारा सीमांकन की सूचना पत्र जारी किया गया लेकिन आवेदक को सूचना नहीं होने के कारण उसकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार शाहगंज जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2016 द्वारा सीमांकन किया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.5.16 को जो आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश किसे जारी किया गया स्पष्ट नहीं है तथा उक्त आदेश के परिपालन में संबंधित हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो विधि विरूद्व है क्यों कि अकेले पटवारी को सीमांकन करने का अधिकार नहीं है। अपितु सीमांकन की कार्यवाही संबंधित राजस्व निरीक्षक को पटवारी के साथ करना चाहिये था, ऐसा न करते हुये जो सीमांकन की कार्यवाही की है वह त्रुटिपूर्ण है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा है कि हल्का पटवारी द्वारा किस आदेश के परिप्रेक्ष्य में सीमांकन की कार्यवाही की गई वह कहीं भी स्पष्ट नहीं है, उसके द्वारा जो सूचना पत्र जारी किया गया उक्त सूचना पत्र में जिन व्यक्तियों के नाम लिखे गये हैं वह कहां के निवासी है उनका स्पष्ट पता अंकित नहीं किया गया हे जो वैधानिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि है, उक्त सूचना पत्र में कांटछांट की गई है, जो स्पष्ट दिखाई देती है, उक्त सूचना पत्र दिनांक 8.6.16 को जारी होना प्रतीत होता है और सीमांकन की भी दिनांक 8.6.16 ही दर्शित की गई थी तथा सीमांकन का समय 8 बजे नियत किया गया था जिसमें कांटछांट करते हुये दिनांक 13.6.16 नियत की गई और समय 10.00 बजे नियत हुआ। उक्त कांटछांट क्यों की गई स्पष्ट नहीं और न ही उस पर किसी के हस्ताक्षर। उक्त सूचना पत्र के पृष्ठ भाग पर संबंधित तामील कुनिंदा ने यह टीप अंकित की है कि तामिल कराने गया तो सभी लोग बहार रहते हैं उक्त टीप पर गवाह के हस्ताक्षर भी हैं इसके बावजूद सभी लोगों को पुनः सही निवास व पते पर सूचना पत्र न दिया जाना तथा सीमांकन की जानकारी न दिया जाना गंभीर वैद्यानिक एवं प्रकियात्मक भूल है। ऐसी स्थिति में समस्त सीमांकन की कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक स्वयं श्री प्रमोद कुमार शर्मा उपस्थित होकर निगरानी मेमों का जबाव प्रस्तुत किया तथा उसकी प्रति आवेदक अधिवक्ता को प्रदाय की तथा जबाव में लेख किया गया है कि प्रस्तुत दस्तावेजों में आवेदक को पूर्व सूचना दिया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है जबकि

वास्तविकता यह है कि वह जानबूझकर हस्ताक्षर करने से बचते रहे तथा प्रकियागत त्रुटि होने से तथ्य उनके पक्ष में प्रतीत हो रहे हैं उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सीमांकन की कार्यवाही उभयपक्षों की उपस्थिति में की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहाराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के पृष्ठ कमांक 9, 10 पर संलग्न पंचनामा एवं पृष्ठ कमांक 11, 12 में संलग्न सूचना पत्र का अवलोकन किया जिस पर आवेदकगण के किसी के भी हस्ताक्षर/अगुंष्ठ के निशान नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण को सूचना नहीं होने से नायब तहसीलदार शाहगंज जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2016 त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है। परिणाम स्वरूप प्रकरण नायब तहसीलदार शाहगंज जिला सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष एवं मेढ़िया कृषकों को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर